भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2516

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025

सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

शिक्षुता और नौकरी के दौरान प्रशिक्षण (ओजेटी)

2516. श्री देवुसिंह चौहानः श्री मुकेश राजपूतः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में अनिवार्य नौकरी के दौरान प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं और वास्तविक प्लेसमेंट उपलब्ध न कराने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं पर लागू होने वाले दंडात्मक प्रावधान क्या हैं;

(ख) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सक्रिय प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने के संबंध में सरकार का क्या लक्ष्य है;

(ग) सरकार लघु अवधि के माइक्रो-क्रेडेंशियल पाठ्यक्रमों को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है तथा उद्योग द्वारा इन पाठ्यक्रमों को पूर्णकालिक प्रमाण-पत्रों की तुलना में किस प्रकार मान्यता देने और इसका मूल्यांकन करने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार ने शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन भार को कम करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा प्रशिक्षुओं की नियुक्ति से संबंधित "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" उपायों की समीक्षा की है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक उद्योग का अनुभव प्रदान करने के लिए, ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) पीएमकेवीवाई 4.0 का एक अभिन्न अंग है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रशिक्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के चरण में ही ओजेटी भागीदारों की पहचान और मैपिंग सुनिश्चित करता है। प्रशिक्षण प्रदाताओं को स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पोर्टल पर ओजेटी की प्रारंभ और समाप्ति तिथि घोषित करना अनिवार्य है। ओजेटी प्रदान करने वाले संस्थान प्रशिक्षण पूरा होने पर एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जिसमें प्रशिक्षु की प्रशिक्षण अवधि और उपस्थिति दर्ज होती है। यह प्रमाण पत्र भी सिद्ध पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

पीएमकेवीवाई 4.0, जो वित्त वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित है, के तहत हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर केन्द्रित है और उन्हें ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) में शामिल उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

(ख) चालू वित्त वर्ष (2025-26) में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के तहत 13 लाख शिक्षुओं का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अक्टूबर 2025 तक 7.12 लाख शिक्षुओं को काम पर लगाया जा चुका है।

(ग) कौशलीकरण इकोसिस्टम में अधिक लचीलापन लाने के लिए, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) और माइक्रो-क्रेडेंशियल (एमसी) के रूप में अधिक छोटे शिक्षण मॉड्यूल को अनुमोदित कर दिया गया है। एनओएस/ माइक्रो-क्रेडेंशियल कार्यस्थल पर मापनीय दक्षताओं, ज्ञान और कौशल को परिभाषित करता है, जिन्हें कौशलोन्नयन, पुनः कौशलीकरण, अंतर-क्षेत्रीय कौशलीकरण और विशिष्ट उद्योग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रित, लचीली शिक्षण इकाइयों के माध्यम से 7.5 घंटे की अवधि से शुरू करके प्रदान किया जाता है। उद्योगों की मांग और आवश्यकता के आधार पर, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) अनिवार्य उद्योग सत्यापन के बाद एनओएस/ माइक्रो-क्रेडेंशियल को अनुमोदित करती है।

(घ) अप्रेंटिसशिप पोर्टल का संवर्धित संस्करण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित संस्थानों के लिए पंजीकरण, पाठ्यक्रम चयन, उम्मीदवारों की भर्ती, अनुबंध जारी करना, प्रशिक्षण निगरानी, वजीफा प्रबंधन और मूल्यांकन अपलोड जैसी गतिविधियों के प्रबंधन हेतु एक एकीकृत डिजिटल प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए संस्थान जिला स्तरीय सहायक शिक्षुता सलाहकारों और सूचीबद्ध थर्ड पार्टी एग्रीगेटरों (टीपीए) से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

*****